कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

क्रमांक – 7024/स्था/राज/द.चि.म./2023 दतिया, दिनांक– 12 /08/2023

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2–15/2022/1/55 भोपाल, दिनांक 04/03/2022 तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 19/05/2023 के परिपालन में एवं एन.एम.सी/एम.सी. आई के मापदण्ड अनुसार Recognition के प्रतिपूर्ति के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों कि पूर्ति सीधी भर्ती से करने हेतु इच्छुक एवं पात्र चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन सीधी भर्ती हेतु आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12/09/2023 सायः 5 :00 तक अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र डॉक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, म.प्र. पिनकोड – 475661** में जमा कराये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में ''शैक्षणिक संवर्ग हेतु'' आवेदन एवं विषय ....तथा आवेदित पद का नाम .... और अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी.........................का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन शुल्क रूपये 1000/–(अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) रूपये 750/– (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट – Government Medical College Autonomous Society Datia के नाम से देय होगा अथवा ऑनलाइन पेमेंट (NEFT) के माध्यम से भुगतान कर भुगतान की पावती / डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

संस्था का खाता कमांक– 0638001700062928, IFSC Code- PUNB0063800.

अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र में से पात्र अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

मुख्य कार्यापालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com
पता – 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक –7025/स्था/राज/द.चि.म./2023 दतिया, दिनांक– 12/ 08/2023

//विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2–15/2022/1/55 भोपाल, दिनांक 04/03/2022 तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 19/05/2023 के परिपालन में एवं एन.एम.सी/एम.सी.आई के मापदण्ड अनुसार Recognition के प्रतिपूर्ति के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों कि पूर्ति सीधी भर्ती से करने हेतु इच्छुक एवं पात्र चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन सीधी भर्ती हेतु आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12/09/2023 सायः 5 :00 तक अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

पदोन्नति के रिक्त पद :–

स. क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह –प्राध्यापक				सहायक–प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1.	एनेस्थिसिया	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2.	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4.	डरमेटोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5.	पैथोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6.	ई.एन.टी.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	जनरल सर्जरी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8.	रेस्पेरिटरी मेडिसिन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	इमरजेंसी मेडिसिन	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10.	फॉरेंसिक मेडिसिन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	जनरल मेडिसिन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	पी.एम.आर.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13.	रेडियोडायग्नोसिस	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14.	फार्माकोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
कुल योग		**5**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

सीधी भर्ती के रिक्त पद :–

स. क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह –प्राध्यापक				सहायक–प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटॉमी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	निश्चेतना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(B)	0
3	इमरजेंसी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	जनरल मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2(B)	1(B)
5	पैथोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(B)	0
6	शिशुरोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(B)	0
7	पी.एम.आर.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	रेडियोडायग्नोसिस	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	फोरेंसिक मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	जनरल सर्जरी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**1**

- पदोन्नति के पदों हेतु नियुक्तीयॉ, पदोन्नति आरक्षण नियमों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होगी।
- सीधी भर्ती के पदों हेतु नियुक्तीयॉ, पदोन्नति आरक्षण नियमों के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय मध्य प्रदेश में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होगी।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC – अनुसूचित जाति, ST – अनुसूचित जनजाति, OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में B का आशय बैकलॉग पद से है।

पदों की संख्या कम/अधिक की जा सकती है।

विज्ञप्ति की शर्तो में कभी भी संशोधन किया जा सकेगा।

1. शैक्षणिक अर्हतायें :–

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता एवं अनुभव दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार।

टीप :– उन सभी विषयों में जहॉ पर एन. एम. सी. द्वारा नॉन मेडिकल डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थीयों को टी.ई.क्यू.पात्रता नियमावली में सम्मलित किया गया है उन विषयों में एन.एम.सी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित एन. एम. सी. अधीसूचना दिनांक 14/02/2022 एवं Minimum Requirement for Annual MBBS Admission Regulation 2020 अधिसूचना दिनांक 28/10/2020 द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के संबंधित विभागों में वर्तमान में कार्यरत नॉन मेडिकल डिग्रीधारी फैक्लटी की गणना कर मेडिकल एवं नॉन मेडिकल फैक्लटी दोनों के अनुपात के आधार पर ही नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अभ्यर्थीयों के आवेदनों को विचारण क्षेत्र में रखा जाएगा।

- आयु सीमा एवं वेतनमान :–

स.क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	अकादमिक स्तर –14, मैट्रिक्स वेतन –1,44,200 /– (6वें वेतनमान 37400–67000 + ग्रेड–पे 10000 + डी.ए.के अनुरूप
2	सह–प्राध्यापक	30 वर्ष	अकादमिक स्तर –13 A, मैट्रिक्स वेतन –1,31,400 /– (6वें वेतनमान 37400–67000 + ग्रेड–पे 9000 + डी.ए.के अनुरूप)
3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	अकादमिक स्तर –11, मैट्रिक्स वेतन –68,900 /– (6वें वेतनमान 15600–39100 + ग्रेड–पे 7000 + डी.ए.के अनुरूप

टीप :– आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले तिथि के पश्चात् आने वाले 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय –समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- **जाति प्रमाण पत्र** :– आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- **आर्हतायें** :–राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिए निर्धारित अर्हता। आवेदन करने की पात्रता सिर्फ उन्ही चिकित्सको के मान्य होगे जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू नियमावली दिनांक 14/02/2022 अनुसार अर्हतायें पूरी करता/करती हो।

- **निरर्हतायें** :–

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुष्चरित्र होने पर ।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हों।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास /अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की साहयता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास /अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जाएगा।
5. विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नि/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए अपात्र होगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिये पात्र नही होगा। परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अपात्र नही होगा।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
7. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप प्रकरण न्यायलय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतने के आपराधिक मामले मे दोषी सिद्ध हुआ हो।
9. **स्वास्थ्य संबंधी** – मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेंगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

- **अन्य शर्ते**

1. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत् व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण –पत्र नहीं लेना होगा।
2. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय –समय पर सौपें गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
3. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस वावत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
4. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तो के अधीन होगी संस्था आपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेंगी।
5. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नही होगी।
6. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987) के तहत की हो के द्वारा उच्च्य पद के लिये आवेदन किया जाता और उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेंगा।
7. म.प्र. शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
8. चयनित चिकित्सक का एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम मैं प्रवेश हेतु पी.एम.टी./नीट यू.जी. प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी/एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाडें में किसी भी स्तर पर आपकी संलिप्तता पाई जाती है अथवा आपके विरूद्ध कार्यावाही लंबित/प्रचलन में पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेंगी, और ऐसी स्थिति में आपको आहरित किया हुआ वेतन एवं अन्य भत्ते 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर शासकीय कोष में जमा कराई जावेगी।
9. **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म. प्र. हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12/09/2023 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में प्राप्त हो जाना चाहिए।** आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्युटर त्रुटि/लिपकीय त्रुटी ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. वेबसाईट **www.datiamedicalcollege .com** पर उपलब्ध है।

Harsh.

नोटः– आवेदन शुल्क रूपये 1000/–(अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) रूपये 750/– (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट – Government Medical College Autonomous Society Datia के नाम से देय होगा अथवा ऑनलाइन पेमेंट (NEFT) के माध्यम से भुगतान कर भुगतान की पावती अथवा डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। **संस्था का खाता कमांक– 0638001700062928, IFSC Code- PUNB0063800.**

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहर्ता की जॉच स्वयं कर लें और अर्हतायें की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जॉच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यापालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया मध्यप्रदेश

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com
पता – 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

आवेदक का प्रारूप

(अंतिम तिथि 12 / 09 / 2023)

नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो

पद .... विषय ....

(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है)

नोट :– सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावें।

1. आवेदक का नाम ....
2. महिला / पुरूष ....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान ....
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है ....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) ....
   ....
   शहर का नाम ....फोन नं ....
   मोबाइल नं .... ई–मेल आईडी ....
7. स्थाई पता (पिनकोड सहित) ....
   ....
   शहर का नाम ....फोन नं ....
   मोबाइल नं .... ई–मेल आईडी ....
8. आधार कार्ड नम्बर ....
9. जन्मतिथि (हाईस्कूल अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)..
10. दिनांक 01 / 01 / 2023 को आवेदक की आयु ....दिन...............माह.............वर्ष ....
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति – विवाहित / अविवाहित
12. विवाह का दिनांक ....
13. विवाह के समय आपकी उम्र ....वर्ष ....माह ....दिन ....
    पति / पत्नि की उम्र ....वर्ष ....माह ....दिन ....
14. आपके बच्चों की संख्या ....
15. यदि बच्चों की संख्या 02 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक ....
16. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग ....
    (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
    नोट :– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिति में वर्ग अनारक्षित लिखें।
17. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक ....
    अ. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. ....
    ब. एमडी / एमएस / एम.डी.एस. ....
    स. एमसीएच / डीएम ....

18. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण –पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिषत	प्रयास (Attempt)
MBBS/BDS/ BSc First Prof.						
MBBS/BDS/ BSc Second Prof.						
MBBS/BDS/ BSc Final Part I						
MBBS/BDS/ Final Part II						
MD/MS/DNB/MCH/DM/MDS/Msc /PhD						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक –पृथक भरे)

नोट :– प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता / प्राचार्य द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

For D.N.B. candidates:-					
D.N.B. course duration(in years)	Number of beds in teaching Hospital where D.N.B.course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/Research Associate (CISR) in MCI recognized /permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)	Remarks of Scrutiny committee(regarding D.N.B.candidate /applicant fulfilling/not fulfilling criteria **<u>for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch</u>** asper MCI/NMC TEQ)	Remarks of Selection committee (regarding D.N.B.candidate /applicant fulfilling/ not fulfilling criteria **<u>for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch</u>** as per MCI/NMC TEQ)
D.N.B. candidate <u>after acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch</u> as per MCI/NMC TEQ, further one year SR/Tutor in concerned subject/specialty in MCI/NMC recognized /permitted institution in accordance with MCI/NMC TEQ amendment dated 14th Feb 2022 :-					

19. शैक्षणिक अनुभव :–

Post	Name of Institute	Institute : Medical College or Dental College or any other Stream	Recognized/Permittedby MCI/NMC(Yes/No) (If permitted mention date of LOP)	From	To	Duration
Professor						
Associate Professor						
Assistant Professor						
SR/ Tutor (Post PG)						
PG Resident						

20. रिसर्च पब्लिकेशन :– [To fill columns 1 to 6]

Total number of **Original Research Article/Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

S.No.	Publication Title and Typeof Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second Third /Correspondng Author (as per MCI/NMC Norms*)	Indexed in(as per MCI/NMC Norms*)& P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

*1. Medline 2. Pubmed CentraL 3. Citation Index 4. Science Citation Index 5. Expanded Embase 6. Scopus 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

*As per MCI/NMC TEQ amendment dated 12/02/2020, previous criteria of First/Second author in Original Research Article/Paper in journal indexed in 1.Scopus 2.Pubmed 3. Medline 4.Embase/Excerpta Medica 5. Index Medicus 6. Index Copernicus (for new fresh appointments on <u>higher</u> post)acceptable till 11/02/2022.

Total number of **Systematic Review Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-

S.No.	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second Third /Corresponding Author	Indexed in(as per MCI/NMC Norms*) & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Subject Expert
	1	2	3	4	5	6		
1								
2								
3								
4								

*1. Medline 2. Pubmed CentraL 3. Citation Index 4. Science Citation Index 5. Expanded Embase 6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

Total number of **Meta-analysis Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-....

S.No.	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second Third /Corresponding Author	Indexed in(as per MCI/NMC Norms*) & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Subject Expert
	1	2	3	4	5	6		
1								
2								
3								
4								

*1. Medline, 2. Pubmed CentraL , 3. Citation Index 4. Science Citation Index ,5. Expanded Embase ,6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

Total number of **Case Series Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-...

S.No.	Publication Title and Type of Article	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second Third /Corresponding Author	Indexed in(as per MCI/NMC Norms*) & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International (I), Print/E online Journal	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Scrutiny Committee	Approval as per MCI/NMC Norms*/Comment of Subject Expert
	1	2	3	4	5	6		
1								
2								
3								
4								

*1. Medline, 2. Pubmed CentraL , 3. Citation Index 4. Science Citation Index, ,5. Expanded Embase ,6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals (DoAJ).

21- Other Information :-

Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC .	
Revised Basic Course in MET, AT-COM, CISPfrom institution designated by MCI/NMC .	
Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body , in lieu of Publication/authorship	
Good Clinical Practice workshop	
Written book/Chapter in book	
Editor/Member of Editorial board	
Membership of Scientific society	
Organized Conference(National/State)	
Awarded for	
Fellowship	
Scientific Paper/Poster Presentations atConference/CME /CDE:	

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची :– (Whichever applicable)

1- 1st M.B.B.S./B.D.S./B.Sc. Marksheet
2- 2nd M.B.B.S./B.D.S./B.Sc. Marksheet
3- 3rd M.B.B.S.Part-I/B.D.S./B.Sc. Marksheet
4- 3rd M.B.B.S.Part-II/B.D.S./B.Sc. Marksheet
5- M.B.B.S./B.D.S./BSc/M.Sc. Degree Certificate
6- M.B.B.S./B.D.S./BSc/M.Sc. Attempt Certificate
7- M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
8- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
9- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
10- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
11- M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
12- AT-COM, Revised Basic Course in MET, CISP from institution designated by MCI/NMC
13- Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
14- Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
15- Associate Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
16- Assistant Professor in Medical College Teaching Experience Certificate
17- S.R./ Tutor(Post PG) in concerned subject in Medical College Teaching Experience Certificate
18- PG Resident Experience Certificate
19- Internship completion certificate
20- Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
21- Adhar Card
22- PAN Card
23- Copies of Research Publication
24- Copies of Chapters in Books
25- Conference/CDE/CME attended
26- Papers/Poster presented at Conference/CDE/CME
27- Award Certificates
28- Caste Certificate

Name & Signature of Candidate

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com
पता – 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

100 रूपये के स्टाम्प पर नोटराइज

//घोषणा –पत्र//

1. मै प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दषा में मेरा आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई जॉच प्रचलन में नही है।
3. मै प्रमाणित करता /करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचारधीन है।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरूद्ध एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम मैं प्रवेश हेतु पी.एम.टी./नीट यू.जी. प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी/एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाडें में किसी भी स्तर पर कार्यावाही लंबित/प्रचलन में नहीं है।
5. मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं सही है, नियुक्ति पश्चात् शिकायत आने पर या सत्यापन किये जाने पर कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य अथवा फर्जी कूटरचित पाया गया तो बिना किसी कारण पद से पृथक किया जायेगा और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने कार्यवाही की जायेगी।
6. यह कि अभ्यर्थी का 26/01/2001 के पश्चात् जीवित संतान की संख्या 02 से अधिक नही है।
7. यह कि अभ्यर्थी ने शासन के न्यूनतम निर्धारित आयु से पूर्व विवाह नही किया है एवं 01 ही जीवित पति/पत्नि है।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक– 19/05/2023

क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55:– राज्य शासन एतद् द्वारा चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2023 तथा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अनुसार भर्ती की प्रकिया सीधी भर्ती से किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट– "अ", "ब", "स" एवं "द" रिक्त पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– परिशिष्ट– "अ", "ब", "स" एवं "द" ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
19.5.2023
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमाक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल, दिनांक–19/05/2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. संभागायुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर,विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19.5.2023
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

1741
23/5/23

ध्वज–अ

अधिष्ठाता (Dean) पद पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक	कुल 30 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार अधिष्ठाता के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सह प्राध्यापक/प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 30 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*प्रशासकीय अनुभव – मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किये गये प्रशासकीय कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक। अधिकतम – 20 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रशासकीय अनुभव – अधिष्ठाता/अधीक्षक (चिकित्सालय)/उप संचालक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा या उससे वरिष्ठ स्तर के संचालनालय के पद ही मान्य होंगे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

सीधी भर्ती प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) उत्तीर्ण होने पर 10 अंक। 2. किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 10 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS/M.Sc) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव (सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ध्वज–स

सीधी भर्ती सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश / मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. / बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) उत्तीर्ण होने पर 10 अंक। 2. किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 10 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS/M.Sc) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सहायक प्राध्यापक / सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

सीधी भर्ती सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 25 अंक	कुल 25 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (...../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) निर्धारित विषय में उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. निर्धारित विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे। अधिकतम– 25 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.एस.सी./एम.डी.एस. (MD/MS/DNB/M.Sc/MDS) उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 25 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक। अधिकतम– 20 अंक	कार्य अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 01 वर्ष से अधिक सीनियर रेसीडेंट/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 2 अंक। (डी.एन.बी. समकक्षता के लिये की गई अतिरिक्त एक वर्ष की सीनियर रेसीडेंसी के कोई अंक देय नही होंगे) अधिकतम– 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम – 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में ऐकेडमिक गतिविधियों को प्रमुखता दी जानी चाहिये।
2. यदि निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त उम्मीदवार के पास कोई प्रशिक्षण/संबंधित विषय या अन्य अनुभव है तो ऐसे अनुभव/योग्यता जो वह साक्षात्कार कमेटी के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, का उल्लेख पूर्व से ही आवेदन पत्र में करेगा, जिससे उन्हें साक्षात्कार कमेटी के समक्ष रखा जा सके।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग